न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः 38/2024

प्रार्थी

हंजादेवी पत्नि श्री अमृतलाल, जाति–माली, निवासी–गोयली, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, गोयली जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, गोयली, तह. व जिला–सिरोही

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, प्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 14 जनवरी, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र, इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 56/2020 अनवान हंजादेवी बनाम सीतादेवी व अन्य, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 की अवमानना कार्यवाही हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री चौधरी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय में अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा सीतादेवी पत्नि श्री अमृतलाल, जाति– माली, निवासी– गोयली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.12.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी व अन्य के विरूद्ध एक निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत इस न्यायालय में पेश किया था। उक्त निगरानी आवेदन को इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 56/2020 पर दर्ज कर बाद सुनवाई उक्त पंचायत निगरानी संख्या 56/2020 में दिनांक 28.12.2022 को गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 के द्वारा प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा सीतादेवी पत्नि श्री अमृतलाल, जाति– माली, निवासी– गोयली के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.12.2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि "प्रश्नगत भूखण्ड की मौके की जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे।" यह कि उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2022 को पारित किये जाने के करीब 1 वर्ष 06 माह बाद भी अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा इस न्यायालय के निर्णय की पालना जान बुझकर नही की जा रही है। यह कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली को पुनः

.......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पट्टा जारी किये जाने के निर्देशों के साथ प्रेषित किये जाने के बावजूद भी तथा अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली के जानकारी में होने के बावजूद भी अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2022 की पालना जानबुझ कर नही की जा रही है। यह कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 17.08.2022 को एक प्रार्थना पत्र मय निर्णय दिनांक 28.12.2022 की प्रति पेश अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली को प्रस्तुत किये जाने के बादवजूद भी अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2022 की पालना नही की करके इस न्यायालय के निर्णय की अवमानना की गई है। अतः प्रार्थीया का निवेदन है कि इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 56 / 2020 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 की पालना करवाई जावे। साथ ही, अप्रार्थी के विरुद्ध इस न्यायालय के निर्णय की पालना नही की जाने पर अवमानना की कार्यवाही हेतु शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी हंजादेवी पत्नि स्वर्गीय धन्नाराम जी, जाति— माली, निवासी— गोयली, तहसील व जिला— सिरोही द्वारा सीतादेवी पत्नि श्री अमृतलाल, जाति— माली, निवासी— गोयली व अन्य के विरुद्ध ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा सीतादेवी पत्नि श्री अमृतलाल, जाति— माली, निवासी— गोयली के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2493.5 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.12.2019 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत एक निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 56 / 2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 56 / 2020 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 के द्वारा प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा सीतादेवी पत्नि श्री अमृतलाल, जाति— माली, निवासी— गोयली के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 03.12.2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत, गोयली का इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के मौके की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे।

इस संबंध में प्रार्थी पक्ष का यह कथन है कि "इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2022 की अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली को जानकारी होने के बावजूद भी अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा जानबूझ कर अब तक पालना नही की गई है।" प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 56 / 2020 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 की पालना करवाई जाने एवं अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के निर्णय की पालना नही करने से अप्रार्थी के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही हेतु शास्ति अधिरोपित किये जाने का अनुरोध किया है।

चूंकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली को इस प्रार्थना पत्र के नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी ग्राम पंचायत, गोयली की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही ग्राम पंचायत, गोयली की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ। चूंकि प्रार्थी के कथनानुसार यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2022 में प्रदत्त उक्त आदेश / निर्देशों की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, गोयली को इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2022 में प्रदत्त निर्देशों की पालना करने हेतु पुनः निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

.......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय * सिरोही * राजस्थान

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, गोयली को पुनः निर्देश दिये जाते है कि इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 56/2020 अनवान हंजादेवी बनाम सीतादेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 में प्रदत्त आदेश/निर्देशों की छः माह की अवधि में पालना करे। साथ ही, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को निर्देश दिये जाते है कि इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 56/2020 अनवान हंजादेवी बनाम सीतादेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 में ग्राम पंचायत, गोयली को प्रदत्त आदेश/निर्देशों की पालना करने हेतु ग्राम पंचायत, गोयली को पाबन्द करते हुए उक्त निर्णय की निर्धारित समयावधि में पालना करवाई जाना सुनिश्चित करे। यदि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2022 की निर्धारित समयावधि में पालना नही की जाती है तो ग्राम पंचायत, गोयली के ग्राम विकास अधिकारी एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही* सत्यमेव जयते